न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
102 / 2007	4.6.2007	28-4-2025

राजूलाल पुत्र मोतीलाल, मीना निवासी संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1.खेमा उर्फ निम्मो पत्नि स्व0 राजूलाल
1/2.पवन पुत्र स्व0 राजूलाल
1/3.आशीष पुत्र स्व0 राजूलाल
निवासी प्लाट नं0 3, सुन्दरनगर रेल्वे स्टेशन के सामने, आनन्दा रोड, सांगानेर, जयपुर

——वादीगण

बनाम

1. पप्पू चौकीदार उर्फ रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल दत्तक पुत्र रणजीत निवासी सपेरा बस्ती, राजकीय महाविद्यालय के पास, गंगापुर सिटी
2. रामप्रकाश पुत्र कल्याण प्रसाद जाति मीना निवासी पुलिस चौकी, कैलाश टाकीज के पास, गंगापुर सिटी
3. अमरसिंह पुत्र सूकीराम, मीना निवासी ल्हावद तह0 नादौती जिला करौली

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र बाबत् काउन्टर क्लेम खारिज करने

उपस्थित :—श्री बृजनन्दन दीक्षित, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से
श्री भागचन्द पल्लीवाल, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा में वादी राजूलाल पुत्र मोतीलाल मीना द्वारा दिनांक 23.7.2021 को प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि स्थाई निषेधाज्ञा का उक्त वाद ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी के ख0नं0 5635/6451 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 5668/6449 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 5669 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 5670 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 5671/6450 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 5672 रकबा 0.02 है0 के सम्बन्ध में वादी द्वारा पेश किया गया था। जिस बाबत प्रतिवादी पप्पू उर्फ रामस्वरूप ने गलत तथ्यों पर आधारित जबाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया। बाद में वादी ने अपना हस्तगत वाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रतिवादी रामस्वरूप द्वारा पेश की गई अपील उनवानी रामस्वरूप बनाम राजूलाल दिनांक 14.2.2012 को खारिज कर देने एवं इस माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.7.78 व आर0ए0ए0 सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 29.1.2008

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

की पुष्टि कर देने के बाद खारिज करवा लिया। दौराने दावा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के तहत वादग्रस्त आराजियात आबादी में परिवर्तित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब उक्त काउन्टर क्लेम इस माननीय राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से चलने योग्य नहीं है तथा इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वाद में पेश काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे।

इस प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी संख्या ने दिनांक 17.10.2022 को जबाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वादी राजूलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वयं वादी द्वारा खारिज करवा लिया गया है परन्तु उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तथा हस्तगत प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के साथ साथ अन्य प्रकरण अपर जिला न्यायालय गंगापुर सिटी में भी विचाराधीन है। हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण सं0 1147 दि0 21.5.2012 विधि विरूद्ध तरीके से दौराने स्थगन खोला गया है जिसकी अपील भी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। विवादित खसरा नम्बर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई धारा 90 बी एल0आर0एक्ट की कार्यवाही नहीं की गई है। नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा धारा 90 ए एल0आर0एक्ट की कार्यवाही की गई है जो वादी द्वारा साजिशीरूप से विधि विरूद्ध की गई कार्यवाही जिसके विरूद्ध संभागीय आयुक्त भरतपुर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तरीके से पेश होने के कारण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि आबादी में परिवर्तित हो चुकी है एवं नगर परिषद् द्वारा वादग्रस्त भूमि में पचासों [illegible] जारी किए जा चुके हैं इसलिए अब वादग्रस्त भूमि धारा 5(24) के अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं है ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को ऐसे प्रकरण को सुनने का श्रवणाधिकार नहीं रहा है। फलस्वरूप प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में वादी के विद्वान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त आर0 आर0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:38 IST
Reason: SelfAttested

...खण्ड अधिकारी
...गंगापुर सिटी (राज०)

टी0 2013(2) पेज 808 प्रस्तुत किया है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि में करीब 11 व्यक्तियों को नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा जारी पट्टों की छायाप्रतियां भी प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपने जवाब के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में नगर परिषद् गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 4.8.2016 द्वारा धारा 90 क एल0 आर0 एक्ट की कार्यवाही की गई थी जिसके विरूद्ध श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां प्रस्तुत अपील दिनांक 26.9.2023 को स्वीकार कर ली गई है एवं नगर परिषद् का आदेश दिनांक 4.8.2016 निरस्त कर दिया गया है इसलिए अब भूमि आबादी की नहीं रही है बल्कि कृषि भूमि हो गई है। इसलिए वादी द्वारा दिनांक 23.7.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि आयुक्त, नगर परिषद्, गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 4.8.2016 द्वारा धारा 90 क एल0आर0एक्ट के तहत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु संपरिवर्तित की गई थी। इस आदेश के विरूद्ध अपील श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के यहां होने पर श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26.9.2023 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4.8.2016 निरस्त किया है एवं पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, नगर परिषद् गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित किया है।

प्रस्तुत मामले में वादी राजूलाल की ओर से वादग्रस्त भूमि में 11 व्यक्तियों को नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा आवासीय पट्टा जारी किया गया है, उन पट्टों की छायप्रतियां प्रस्तुत की है एवं ये पट्टे आज भी प्रभाव में है। इनसे यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक रूप से वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं रहकर वर्तमान में अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है। इसके अतिरिक्त वाद पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 9.4.2021 को हस्तगत वाद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2)(4) सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया है, [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं ने वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 [illegible]प्रकाश व प्रतिवादी संख्या 3 अमरसिंह द्वारा 30 व्यक्तियों को भूखण्डो में [illegible]मि विक्रय करने का एवं इन व्यक्तियों द्वारा भूखण्डों पर बाउण्ड्री/मकान निर्माण करने का तथ्य अंकित किया है। इससे भी यह विदित है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नहीं रही है तथा भूमि अकृषि प्रयोजनाथ उपयोग में आ रही है। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:38 IST
Reason: SelfAttested

मजिस्ट्रेट ... गंगापुर सिटी (राज०)
उपखण्ड अधिकारी
... सिटी (राज०)

10

राजूलाल बनाम पप्पू चौकीदार उर्फ रामस्वरूप वगैरा, दावा

प्रश्नगत भूमि अधिनियम की धारा 5(24) के अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं रहकर अकृषि प्रयोजनार्थ काम में आ रही है ऐसी स्थिति में ऐसे मामलों को सुनने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं रह जाता है। फलस्वरूप वादी की ओर से दिनांक 23.7.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा दिनांक 23.7.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। चूंकि वादी राजूलाल द्वारा अपना वाद पूर्व में ही दिनांक 28.3.2012 को नोट प्रेस में खारिज करवा लिया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम उपरोक्तानुसार खारिज कर दिया गया है इसलिए अब प्रस्तुत वाद में आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है इसलिए इसी अनुसार प्रस्तुत वाद भी निर्णित किया जाता है।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-5-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (...) गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रश्नगत भूमि अधिनियम की धारा 5(24) के अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं रहकर अकृषि प्रयोजनार्थ काम में आ रही है ऐसी स्थिति में ऐसे मामलों को सुनने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं रह जाता है। फलस्वरूप वादी की ओर से दिनांक 23.7.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा दिनांक 23.7.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। चूंकि वादी राजूलाल द्वारा अपना वाद पूर्व में ही दिनांक 28.3.2012 को नोट प्रेस में खारिज करवा लिया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम उपरोक्तानुसार खारिज कर दिया गया है इसलिए अब प्रस्तुत वाद में आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है इसलिए इसी अनुसार प्रस्तुत वाद भी निर्णित किया जाता है।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-5-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्र.) गंगापुर सिटी (जिला) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:11:38 IST
Reason: SelfAttested